# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

**राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 160 / 2024 / बाड़मेर**

| अपीलांट | रेस्पोडेंटगण |
|---|---|
| 1. मांगीलाल पुत्र स्व. मंगला<br>2. पुखराज पुत्र स्व. मंगला<br>3. गौतम पुत्र स्व. मंगला<br>4. चन्दनसिंह पुत्र स्व. मंगला<br>5. सीतादेवी बेवा. मंगला जातियान पुरोहित निवासीगण खेतेश्वर ब्रहमधाम तीर्थ, आसोतरा, तहसील पचपदरा जिला बालोतरा<br>6. भोपालसिंह पुत्र जवाहरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा | 1. रतनसिंह पुत्र वचनाजी<br>2. शंकरसिंह पुत्र केसाजी<br>3. भंवरसिंह पुत्र केसाजी<br>4. दामोदरसिंह पुत्र केसाजी<br>5. बाबुसिंह पुत्र केसाजी जातियान पुरोहित निवासीगण खेतेश्वर ब्रहधाम तीर्थ, आसोतरा, तहसील पचपदरा जिला बालोतरा<br>6. छोगा पुत्र फुआ जाति पुरोहित<br>7. करना पुत्र प्रतापजी के का.मु.<br>7/1पार्वतीदेवी पत्नी करनाजी<br>7/2जबरसिंह पुत्र करनाजी<br>जातियान पुरोहित निवासीगण खेतेश्वर ब्रहमधाम तीर्थ, आसोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा<br>7/3जबरसिंह पत्र करनाजी पत्नी लालसिंह जाति पुरोहित निवासी गुड़ानाल तहसील सिवाना जिला बालोतरा<br>7/4सायरो पुत्री स्व करनाजी पत्नी वगतावरसिंह जाति पुरोहित निवासी असाड़ा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा<br>7/5चंदा पुत्री स्व करनाजी पत्नी हनुमानसिंह जाति |

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

| | |
|---|---|
| | पुरोहित निवासी जागसा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा<br>8. वगताजी पुत्र सवजी<br>9. कानसिंह पुत्र सवजी<br>10. अर्जुनसिंह पुत्र सवजी जातियान पुरोहित निवासीगण खेतेश्वर ब्रहमधाम तीर्थ, आसोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा<br>11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बालोतरा |

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 102/2023 बअनवान रतनसिंह वगैरा बनाम मंगला के वारिसान वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.09.2024 के विरूद्ध पेश हुई।**

उपस्थिति

1. वकील श्री अचलाराम थोरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुनिल के मेराजा रेस्पोडेंट की ओर से।

## निर्णय

**दिनांकः— 17.06.2025**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 08 एक ही कुटुम्ब परिवार के हैं, मुतवफी प्रतापजी के चार पुत्र केसाजी, सवजी, वचनाजी व करना हैं जिनके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 03 से 08 हैं। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 03 से 08 के मुतवफी प्रतापजी की खुदकाश्त भूमि ग्राम श्री खेतेश्वर ब्रहमधाम तीर्थ की खेत खसरा संख्या 393 रकबा 6.17 बीघा व खसरा संख्या 396 रकबा 05 बीघा भूमि अवस्थित थी। जिस पर वक्त सेटलमेंट पूर्व से

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रतापजी का कब्जा काश्त था और वक्त सेटलमेंट के समय विवादित भूमि प्रतापजी के नाम दर्ज होने के बजाय प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने सेटलमेंट विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत कर अपने नाम भूमि इन्द्राज करवा दी जबकि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का कभी भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। अतः उक्त प्रविष्टि को हटाते हुये वादी संख्या 03 से 06 के नाम घोषित करवाने व खेत खसरा संख्या 396 रकबा 05 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की प्रविष्टि को हटाते हुये 1/4 हिस्सा वादी संख्या 01 व 02 के नाम, 1/4 हिस्सा वादी संख्या 01 व 06 के एवं प्रतिवादी संख्या 04 के नाम व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 के नाम एवं 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 05 से 08 के नाम घोषित करवाने व प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु हस्तगत वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 04.10.2022 को वादीगण के वाद को खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध श्रीमान न्यायालय के समक्ष वादीगण ने अपील संख्या 125/2022 पेश की गई। जिसे श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04.2023 को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया एवं मामला विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय ने पुनः वाद दर्ज किया एवं वाद में शहादत दर्ज की तथा बाद सुनवाई विचारण न्यायालय में वादीगण का दावा दिनांक 06.09.2024 को निर्णीत करते हुए वादीगण के पक्ष में डिक्री जारी कर दी गई जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि के मान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटस के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि उत्तरदाता/वादीगण का वाद गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण पूर्व में दिनांक 04.10.2022 को बाद समुचित सुनवाई के खारिज किया गया, क्योंकि वादग्रस्त भूमि जागीरी गांव नहीं था, जो खालसा गांव था, जिसका 02 बार सेटलमेंट हो रखा है और प्रथम सेटलमेंट व द्वितीय सेटलमेंट से भी भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की खातेदारी इन्द्राज हुई है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है क्योंकि सेटलमेंट विभाग ने वक्त सेटलमेंट के समय मौके

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पर कब्जा काश्त अनुसार ही रेकर्ड संधारण दिया था, वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का कब्जा काश्त होने के कारण वक्त सेटलमेंट भूमि उनके नाम इन्द्राज हुई और विवादित भूमि के संबंध में किसी प्रकार कोई समझौता नहीं हुआ था। श्रीमती गोमतीदेवी ने प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को काविज खातेदारी मानकर खसरा संख्या 343 रकबा 06.17 बीघा भूमि में से 05.08 बीघा भूमि सप्रतिफल खरीद की और शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने प्रतिवादी संख्या 10 को बेचान की गई, इस प्रकार वादीगण का विवादित भूमि में कोई हक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का दावा महज कयासी दलीलों पर डिक्री कर दिया जबकि दावा हर सूरत में खारिज किये जाने योग्य था। वादीगण अपने दावे को दस्तावेजी शहादत से कतई प्रमाणित नहीं कर सके थे। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण को विवादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित कर दिया जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के किन्हीं प्रावधानों के तहत वादीगण को कोई टेनेन्सी अधिकार प्राप्त ही नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में दिनांक 01.02.2006 को जिस दस्तावेज का उल्लेख किया है वह केवल कागज का टुकड़ा है ऐसा कोई दस्तावेज प्रतिवादी द्वारा निष्पादित नहीं किया गया एवं न ऐसे दस्तावेज से खातेदारी अधिकारों का कोई सृजन होता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय ऐसे कागज के टुकड़ों पर अवलम्बित है जिनकी कोई कानूनी अहमियत ही नहीं है एवं न उनसे टेनेन्सी अधिकारों का कोई सृजन होता है। न ऐसे दस्तावेज कभी प्रतिवादीगण द्वारा निष्पादित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों को मिस रीड एवं मिस्एप्रिशियेट किया है। स्वयं वादीगण की माता ने प्रतिवादी संख्या एक मंगला व प्रतिवादी संख्या दो छोगा को विवादग्रस्त भूमि का खातेदार मानते हुए इन खसरों में से खातेदारी अधिकार पंजीकृत विक्रय विलेखों के जरिये क्रय किये हैं एवं दूसरी और वाद पत्र में यह कहां है कि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में भूमि गलत दर्ज कर दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर दोनों बेचान पत्र उपलब्ध थे जिनका भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाना अर्थ निकाला है। सन् 1974 के जिस दस्तावेज का अपीलाधीन निर्णय में उल्लेख किया गया है उससे भी वादी को विवादग्रस्त भूमि में कोई टेनेन्सी अधिकार अर्जित नहीं होते हैं। विचारण न्यायालय ने वाद बिन्दु संख्या तीन को वादीगण के पक्ष में निर्णीत करने में भयंकर भूल की है। विवादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कोई कब्जा प्रमाणित ही नहीं है। स्वयं वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 10 के पक्ष में निष्पादित बेचान पत्र को निरस्त करने हेतु न्यायालय में वाद पेश किया था जो वाद न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई खारिज किया गया एवं उस निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपील स्वयं वादीगण द्वारा वापिस ले ली

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः—RRT 2023(2) Page 902, DNJJ 2002(1) Page 333, DNJ 2002(1) Page 338, DNJ 2011(SC) Page 1058, DNJ 2011(SC) Page 1067, DNJ 2001 Page 679, RRT 2012(2) Page 1114,

वकील उतरदातागण ने अपनी बहस में बताया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 08 एक ही कुटुम्ब परिवार के हैं, मुतवफी प्रतापजी के चार पुत्र केसाजी, सवजी, वचनाजी व करना हैं जिसके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 03 से 08 हैं। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 03 से 08 के मुतवफी प्रतापजी की खुदकाश्त भूमि ग्राम श्री खेतेश्वर ब्रहमधाम तीर्थ की खेत खसरा संख्या 393 रकबा 6.17 बीघा व खसरा संख्या 396 रकबा 05 बीघा भूमि अवस्थित थी। जिस पर वक्त सेटलमेंट पूर्व से प्रतापजी का कब्जा काश्त था और वक्त सेटलमेंट के समय विवादित भूमि प्रतापजी के नाम दर्ज होने के बजाय प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने सेटलमेंट विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत कर अपने नाम भूमि इन्द्राज करवा दी जबकि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का कभी भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। अतः उक्त प्रविष्टि को हटाते हुये वादी संख्या 03 से 06 के नाम घोषित करवाने व खेत खसरा संख्या 396 रकबा 05 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की प्रविष्टि को हटाते हुये 1/4 हिस्सा वादी संख्या 01 व 02 के नाम, 1/4 हिस्सा वादी संख्या 01 व 06 के एवं प्रतिवादी संख्या 04 के नाम व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 के नाम एवं 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 05 से 08 के नाम घोषित करवाने व प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु हस्तगत वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 04.10.2022 को वादीगण के वाद को खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध श्रीमान न्यायालय के समक्ष वादीगण ने अपील संख्या 125/2022 पेश की गई। जिसे श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04.2023 को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया एवं मामला विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय ने पुनः वाद दर्ज किया एवं वाद में शहादत दर्ज की तथा बाद सुनवाई विचारण न्यायालय में वादीगण का दावा दिनांक 06.09.2024 को निर्णीत करते हुए वादीगण के पक्ष में डिक्री जारी कर दी गई जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा हस्तगत वाद, जवाबदावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गईः—

1. आया वादीगण राजस्व अभिलेख ग्राम खेतेश्वर तीर्थ धाम के खसरा संख्या 835/393 में से प्रतिवादी संख्या 01 का नाम हटाकर वादीगण संख्या 02 से 05 के नाम घोषित करवाने के अधिकारी है?
   जिम्मे वादीगण
2. आया वादीगण आराजी खसरा संख्या 396 रकबा 5 बिस्वा ग्राम खेतेश्वर तीर्थ धाम के अभिलेख से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम हटाकर वादीगण प्रतिवादी संख्या 05 से 08 के नामं घोषित कराने के अधिकारी है?
   जिम्मे वादीगण
3. आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है?
   जिम्मे वादीगण
4. आया वादपत्र वादी भू प्रबन्ध ऑपरेशन के पश्चात निर्धारित अवधि में पेश नहीं होने से अन्दर म्याद नहीं है?
   जिम्मे प्रतिवादी
5. आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 04 के पक्ष में किये गये बेचानों से भिन्न कोई कथन करने से विबन्धित है?
   जिम्मे प्रतिवादी
6. आया तथाकथित बिना तारीख का बंटवाड़ा भूमिधाकर की लिखित सहमति के बिना शून्य है?
   जिम्मे प्रतिवादी
7. आया समुचित वादकरण गठित होने के तथ्यों के अभाव मतें वादपत्र वादीगण अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी में रिजेक्ट करने योग्य है?
   जिम्मे प्रतिवादी
8. आया तथाकथित इकरारनामा दिनांक 01.02.2006 साक्ष्य में ग्रहण करने योग्य नहीं है और न किसी भी उद्देश्य के लिखा पढा जा सकता है?
   जिम्मे प्रतिवादी
9. आया तथाकथित अपंजीकृत इकरारनामा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा निष्पादित नहीं है?
   जिम्मे प्रतिवादी
10. दादरसी

विवाद्यक बिंदु संख्या 01 व 02 को साबित करने का भार वादीगण पक्ष पर था जिसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य से बखूबी साबित किया गया। अभिलेखीय साक्ष्य में वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में गवाह PW-1 से PW-3 बयान कलमबद्ध करवाए गए। वादी दामोदरसिंह ने बयानात् में जाहिर किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 08 एक ही कुटुम्ब परिवार के सदस्य है वादीगण व प्रतिवादी संख्या 03 से 08 पिढियों से स्थायी निवास ब्रह्माजी मंदिर के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पास स्थित खसरा संख्या 396 में व प्रतिवादी संख्या 01 का मकान खसरा संख्या 395 में है जहां अपनी हैसियत के मुताबिक पक्के मकानात वगैरा भी बने हुए हैं, वक्त सेटलमेंट खसरा संख्या 396 रकबा 05 बिस्वा सरहद मौजा श्री खेतेश्वर ब्रह्मधाम तीर्थ की गैर मुमकिन ढाणी की भूमि पर स्व प्रतापजी के चारो पुत्र केसाजी, सवजी, वचनाजी व प्रतिवादी संख्या 3 करनाजी के नाम अंकित करना था। जहां उक्त 05 बिस्वा भूमि चारो भाईयो की ढ़ाणी बनी हुई थी। खेत खसरा संख्या 393 रकबा 6.17 बीघा सरहद मौजा खेतेश्वर ब्रह्मधाम तीर्थ की भूमि भी स्व प्रतापजी के खुदकाश्त की भूमि थी, जो उनके पारिवारिक बंटवाड़ा में अपने ज्येष्ठ पुत्र केसाजी के हक हिस्सा में दी गई थी। जिस पर पिछले करीब 53 सालो से ज्यादा समय से निरन्तर केसाजी व उनके देहान्त के बाद उनके चारो पुत्र वादीगण संख्या 2 से 5 व प्रतिवादी संख्या 4 का ही कब्जा काश्त है, परन्तु अपीलाधीन आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने अपने नाम सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों से मिलीभगत कर गलत व मनगढंत तौर से नाम अंकित करा दिए। जबकि सेटलमेंट विभाग की गलती का वादीगण/उतरदाता को पता चलने पर वादीगण द्वारा अपने परिवारजन से बात करने पर समाज की पंचायती हुई जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 ने स्वीकार किया कि अपीलाधीन आराजी भूमि गलती से उनकी खातेदारी में इन्द्राज हुई है, अपीलाधीन आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 का कब्जा काश्त नहीं है। ऐसी लिखित दिनांक 20.11.1974 को महापुरूष श्री खेताराम महाराज के रूबरू हुई तथा उसके उपरांत मौजिज व्यक्तियों के रूबरू इकरारनामा दिनांक 01.02.2006 को लिखा गया। वादी पक्ष गवाहान ने वकील प्रतिवादी द्वारा लम्बी जिरह की गई, लेकिन जिरह में यह साबित नहीं कर पाए कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं हो जबकि जिरह में मजीद बयानात गवाह दामोदरसिंह ने साबित किया है कि प्रदर्श–16 में नये खसरा संख्या 393 पुराने खसरा संख्या 892 व 893 से बने है। इसी प्रकार वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह में साबित करना चाहा कि अपीलाधीन आराजी प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 की खातदारी भूमि वक्त सेटलमेंट से आदिनांक चली आ रही है। वादीगण/उतरदाता की माता गोमतीदेवी ने प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को खातेदार काश्तकार मानते हुए वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 393 में से 1/2 हिस्सा छोगा वल्द फुआ व 1/2 हिस्सा मंगला वल्द फुआ में से रकबा 02 बीघा भूमि सप्रतिफल की राशि अदा करते हुए भूमि अपनी माता गोमतीदेवी के नाम खरीद की गई। वादीगण/उतरदाता स्वयं जरिए रजिस्ट्री अपीलाधीन आराजी को खरीद करने से स्पष्ट है कि वादीगण/उतरदाता अपीलाधीन आराजी के वक्त सेटलमेंट काश्तकार नहीं थे। उक्त बिन्दु को प्रतिवादी पक्ष पूरी तरह साबित नहीं कर पाए है, क्योंकि पत्रावली के संलग्न प्रदर्श–13, जिसका हिन्दी रूपान्तरण

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रदर्श–26ए है, उक्त लिखित अभिकथन दिनांक 20.11.1974 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 स्वयं ने स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी का मूल खसरा संख्या 892 भूलवश प्रतिवादी के नाम दर्ज हो रखा हैं, जबकि केसाजी वल्द प्रतापजी का कब्जा काश्त है। जिसमें मंगला व छोगाराम ने वादी/उतरदाता के पिता केसा वल्द प्रतापजी के नाम रजिस्ट्री करवाने की सहमति दी गई थी। उक्त लिखित की सहमति में इन्हीं पक्षकार के मध्य इकरारनामा दिनांक 01.02.2006 में प्रतिवादी ने स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट प्रतिवादी के नाम गलत इन्द्राज हुई है। अपीलाधीन आराजी में वादीगण/उतरदाता का कब्जा है व आपकी ढाणी, टांके वगैरा बने हुए हैं व बाड़ बनी हुई है एवं ढाणी में वादीगण का निवास है, इसमें हमारा कोई हक नहीं है। इससे यह स्पष्ट साबित होता है कि वक्त सेटलमेंट के दौरान राजस्व रेकर्ड में वादग्रस्त आराजी वादी पक्ष के नाम दर्ज होने के बजाय प्रतिवादी मंगला व छोगा के पिता फुआ के नाम गलत इन्द्राज हुई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्तगत वाद में आई साक्ष्य एवं सबूत से लिखित दिनांक 20.11.1974 व इकरारनामा दिनांक 01.02.2006 की इबारत को प्रतिवादी पक्ष गलत साबित करने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि इसी इबारत से अपने आप को पाबंद करते हुए अपीलाधीन आराजी खसरा संख्या 393 में से प्रतिवादी छोगा पुत्र फुआजी द्वारा अपना 1/2 हिस्सा वादी की माता गोमतीदेवी पत्नी केसाजी के पक्ष में बेचान पंजीबद्ध किया गया जो प्रदर्श– 29 अवलोकन से स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन आराजी खेत खसरा संख्या 393 रकबा 6.17 बीघा व खसरा संख्या 396 रकबा 05 बिस्वा भूमि पूर्व खसरा संख्या 892 रकबा 17.11 बीघा से बना है एवं रि–सेटलमेंट अधिकारियों ने गलत रूप से उक्त आराजी खसरा संख्या 393 व 396 को खसरा संख्या 893 से बनने का अंकन रि सेटलमेंट के दस्तावेजात में किया, जबकि खसरा सख्या 893 के क्षेत्रफल से अधिक भूमि के नवीन खसरे दर्ज कर दिये है, जो संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा वक्त मूल सेटलमेंट के समय राजस्व रिकॉर्ड के संधारण में की गई त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु हस्तगत वाद मातहत अदालत के समक्ष वादीगण/उतरदातागण ने पेश किया गया जिसे भलीभांति साबित किया गया। RRT 2016(1) Page 374 राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित विधि का सारवान सिद्धांत है कि Settlement department was not competent to change the entries of the record & they are bound to repeat the entries.

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रतिवादी मंगला वल्द फुआ ने दौराने वाद व स्थगन आदेश होने के उपरांत भी विवादित आराजी रकबा 01.09 बीघा का बेचान प्रतिवादी संख्या 10 (भोपालसिंह) को किया गया। वाद में कानूनी पेचीदगियों बढाने के लिए आगे भूमि का बेचान कर दी गई जबकि वास्तव में मंगला वल्द फुआ का अपीलाधीन आराजी में कोई हक हिस्सा नहीं था। मूल वाद के विचारण में रहते कोई बेचान किया जाता है तो ऐसा बेचान संपति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 52 से बाधित है।

सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 460/2009 में मौकें की मौका रिपोर्ट तलब की गई जो मौका कमिश्नर द्वारा दिनांक 13.06.2009 को उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार की गई जिसमें अपीलाधीन आराजी पर वादीगण/उतरदातागण का कब्जा काश्त साबित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एवं मूल दावे के विचारण हेतु नियत प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में कुल 9 तनकी कायम की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो तनकी वाद के जिम्मे रखी गई उसे बखूबी साक्ष्य सबूत से साबित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तनकीयात का निष्कर्ष/निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, तथ्यों, गवाहों के बयानों का गहन मनन एवं अध्ययन करते हुए पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 102/2023 बअनवान रतनसिंह वगैरा बनाम मंगला के वारिसान वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.09.2024 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

12/6/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 17.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/6/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर